

सं. 23012/01/2015-अ.भा.से.।।।

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक: 11 अक्टूबर, 2017

### अधिसूचना

श्रीमती सिंधु बी, आईएएस (केएन:2011) को अपना नाम "श्रीमती सिंधु बी" से बदल कर "श्रीमती सिंधु बी रूपेश" करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, वे सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए "श्रीमती सिंधु बी रूपेश" के रूप में जानी जाएंगी।



(राजेश कुमार यादव)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23094714

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, (हरियाणा).

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव
2. महालेखाकार, कर्नाटक
3. सचिव, यूपीएससी, नई दिल्ली।
4. श्रीमती सिंधु बी रूपेश, आईएएस (केएन:2011) (मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार के माध्यम से)

### आंतरिक वितरण

5. ईओ(सीएम)/एआईएस-1/एआईएस-1/ईओ(एसएम)/ईओ(पीआर)/10 अतिरिक्त प्रतियां
6. एनआईसी को इस विभाग की वेबसाइट {[www.persmin.nic.in](http://www.persmin.nic.in)} > अधिसूचना > सेवा प्रभाग > अन्य} पर उक्त को अपलोड करने के लिए।